

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/12/17 को पेश हो।

तहसीलदार

रियाबडी

(नागौर - राजस्थान)

938
15/12/17

29/12/17 प्रशासकी केशरी गैरसायल की ओर से
उनका पुत्र हीरामात्र उपरुद्धा एवं स्वयं
शुभो प्रशासकी का अदालत किया सेसेत्र
के विरुद्ध इस प्रकार है कि प्रशासकी लम्बा
लाम्बे लम्बे अज्ञान लाम्बे लम्बे के रूप में-

हीरामात्र
पुत्र

946 एकड़ 0.03 हेक्टर कृषि भूमि में कु अंग्रेज
कर लम्बे 27.5 से प्रशासकी को घोषणा
जात्रा गैरसायल लाम्बे लम्बे के अज्ञान प्रशासकी
करने के लक्ष्य में हीरामात्र प्रशासकी केशरी
जिस पर इस-प्रमाण में 'राजस्थान प्रशासकी केशरी'
गैरसायल के अज्ञान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91 को बंद नोटिस जारी किया
जाकर लाम्बे लम्बे किता जात्रा गैरसायल की ओर
से उनका पुत्र उपरुद्धा एवं स्वयं है।
गैरसायल का अज्ञान भूमि पर जात्रा प्रशासकी
अज्ञान करने के कारण अज्ञान प्रशासकी
किया जाकर किता गैरसायल से
गैरसायल को लक्ष्य केशरी

[Signature]

को पेश हो।

तहसीलदार
रियांवडी
(नागौर - राजस्थान)

938
15/12/17

24/12/17 प्रजापती केशरी जीर सामल की ओर से
उनका पुत्र हीरामाच 2 पड़ हुआ एक स्वेप
हनु 01 प्रजापती का सरलोकन किया सेसेप
के विरुद्ध इस प्रकार है कि प्रजापती का
लाम्बो मरिने भोज्य लाज्ये मरि के रूप में

हीरामाच
पुत्र

946 एकका 0.02 हेक्टर कृषि भूमि में 10 अंग्रेज
पर एकका 20 एक में प्रजापती का पोसा का
जाति का निवासी लाम्बो मरि के कृषि प्रविष्टता
कामों के हक में हीरामाच विरुद्ध प्रजापती
जिस पर इस नामक नाम राजस्थान प्रजापती
जैर सामल के कृषि राजस्थान प्रजापती 3 दिनांक
1956 की धारा 14 के तहत नोमिने जारी किया
जाकर तबत किता जमा जैर सामल की ओर
से उनका पुत्र उपरुद्धा परत स्वेप हुआ।
जैर सामल का सरलोकन भूमि पर नाराज
अभिप्रेत करने के कारण हीरामाच को विरुद्ध
किया जाकर किता जमा नोमिने प्रजापती से
गैर किता रूप से जैर सामल कचे हरे

